# न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला-पाली) राज०

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर०ए०एस०
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 1855/2017
**GCMS NO. : 2017/00327**

प्रार्थीगण

1. भुण्डाराम पुत्र मोहनलाल
2. बुधाराम पुत्र मोहनलाल
3. बदर पुत्र मोहनलाल
4. राकेश पुत्र मोहनलाल
5. जसकी बेवा मोहनलाल
6. बंशीलाल पुत्र अखाराम उर्फ अखिया
7. मिश्रीलाल पुत्र अखाराम उर्फ अखिया
8. भीरमाराम पुत्र अखाराम उर्फ अखिया
9. राजुराम पुत्र अखाराम उर्फ अखिया
10. लालु पुत्र मोतीराम
11. आसियां पुत्र मोतीराम
12. नारायण पुत्र मोतीराम

सभी जातियान- बावरी निवासीगण- हुनवास खुर्द तहसील- जैतांरण जिला- पाली राज०।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. लिकमाराम पुत्र जसाराम
2. भगाराम पुत्र जसाराम
3. मंगलाराम पुत्र जसाराम
4. भूरकी बेवा जसाराम
   जातियान- सिरवी, निवासीगण- हुनावास कलां, तहसील- जैतारण, जिला- पाली।
5. सिरिया पत्नी मांगीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी- हुनावासं कलां, तहसील- जैतारण, जिला- पाली, राज०।
6. उपपंजीयन अधिकारी एवं तहसीलदार, जैतारण जिला पाली राज०।
7. मोहनलाल पुत्र मलाराम
8. संतोष पुत्री मलाराम
9. रुकमा पुत्री मलाराम
10. तुलछाई पत्नि मलाराम
11. केलकी देवी पत्नि प्रभुराम
12. बाबुलाल उर्फ बगदाराम पुत्र प्रभुराम
13. राजु पुत्र प्रभुराम
14. गीता पुत्री प्रभुराम
15. इन्द्रा पुत्री प्रभुराम
16. लच्छाई पत्नि चिमनाराम
   जातियान- सीरवी, निवासीगण- हुनावास कलां, तहसील- जैतारण, जिला- पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् रास्ता कायम करवाने अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:- 04/09/2017

उपस्थितः- 1. श्री रूस्तम भाटी, अधिवक्ता, प्रार्थीगण।
2. श्री सुरेश चौधारी, रमजान अंसारी, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

## -:: निर्णय ::-

दिनॉकः- 21/03/2022

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि यह है कि प्राथीगण के कब्जे काश्त की कृषि भूमि हुनावासकलां व रतनपुरा सरहद के बीच में कंटाला चक के नाम से खसरा नम्बर 1/86 रकबा 6 बीघा 19 बिस्वा, ख0न0 6/91 रकबा 7 बीघा 17 बिस्वा, ख0न0 7/92 रकबा 8 बीघा 17 बिस्वा, ख0न0 4/89 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, ख0न0 8/93 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा, ख0न0 03/88 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा, ख0न0 5/90 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा, ख0न0 02/87 रकबा 10 बीघा 11 बिस्वा कुल भूमि आई हुई है। जिस पर उपरोक्त सभी प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है जो उनके पिता व परपिता के समय से कास्त करते आ रहे है। उपरोक्त खसरा नम्बरान की प्रमाणित जमाबन्दी की नकल प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत की जा रही है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या एक मे

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:44:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

वर्णित उपरोक्त खसरा नम्बरान् की कृषि भूमि मे जाने के लिये जैतारण से हुनावासकलां जाने वाले मुख्य सड़क से होकर अप्रार्थीगण के खेतों से होकर प्रार्थीगण अपने खातेदारी की कृषि भूमि में आते जाते रहे है और पीढ़ीयों से इसी रास्ते का उपयोग उपभोग करते रहे है ख0नं0 39,38,25 में से होकर रास्ता प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि पर जाता है। खसरा नम्बर 39,38,25 के खातेदारो ने प्रार्थीगण के पिता व परपिता को कभी भी अपने खेतों में से होकर जाने के लिये उपयोग उपभोग किये जाने वाले रास्ते मे दखलन्दाजी नहीं की है। प्रार्थी अपने पशु, छकड़ा, ट्रेक्टर इत्यादि लाते ले जाते रहे है तथा अपने खेतो मे फसल बोने के लिये व आने जाने के लिये इसी रास्ते का उपयोग उपभोग करते रहे है। ख0 नं0 39 के खातेदारो द्वारा मौके पर आपस मे उत्तर से दक्षिण दिशा मे अपने हिस्से विभाजित करने पर प्रार्थीगण द्वारा उपयोग उपभोग किये जाने वाले रास्ता पर लिखमाराम का हिस्सा आने से लिकमाराम ने ख0नं0 39, 38 मे से होकर निकाले वाले रास्ते को अप्रार्थीगण के साथ मिलकर मौके पर पट्टिया रोपकर तारबंदी कर दी तथा रास्ते को बंद कर दिया। ख0 नं0 39 व 38 मे लिखमाराम द्वारा अपने हिस्से के खातेदारो से मिलकर किये गये रास्ते को देखकर ख0नं0 25 के खातेदार सिरिया ने भी प्रार्थीगण के रास्ते को बंद कर दिया है। अप्रार्थीगण के खातेदारी की नकल प्रार्थनापत्र के साथ प्रस्तुत की जा रही है। अप्रार्थीगण द्वारा ख0 नं0 39 व 38 मे रास्ते को बंद कर देने से प्रार्थीगण इस वर्ष अपने खेतों मे फसल बोने से वंचित हो गये है प्रार्थीगण रास्ते के अभाव मे अपने अपने खतो मे फसल नही बो सके। इसलिए उन्हे लाखों रूपये नुकसान हुआ है प्रार्थीगण ने रास्ते बाबत् अप्रार्थीगण को समझाने पर किसी भी रूप मे रास्ता खोलने के लिये सहमत नही हुए न ही ग्राम पंचायत गरनिया की बात मानी, प्रार्थीगण अपने खेतो मे जाने के लिये रोके गये रास्ते को खुलवाने बाबत् एक प्रार्थना पत्र अप्राथी संख्या 6 के समक्ष प्रस्तुत किया लेकिन वहा भी कोई कार्यवाही नही होने से प्रार्थीगण को अपने खेतो मे जाने के लिये रास्ते बाबत् श्रीमान् के समक्ष प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने के अलावा कोई विकल्प शेष नही रहा। प्रार्थीगण के खते मे जाने के लिये अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है क्योकि प्रार्थीगण अपने पिता व परपिता के समय से इसी रास्ते का उपयोग उपभोग करते रहे है। प्रार्थीगण ख0 नं0 38 व 39 व 25 में से होकर रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी है जिसके एवज मे कानूनी रूप से निर्धारित की जाने वाली राशि जमा कराने के लिये तैयार है। रास्ते के अभाव मे प्रार्थीगण अपने कब्जे काश्त की कृषि भूमि का उपयोग उपभोग करने से वंचित हो रहे है। इसलिए प्रार्थीगण को रास्ता दिलाये जाने का आदेश फरमावें। प्रार्थनापत्र के साथ निर्धारित न्याय शुल्क प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थनापत्र सुनने का श्रीमान को क्षेत्राधिकार प्राप्त होने से प्रार्थनापत्र श्रीमान् के समक्ष पेश है। अतः प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र व दस्तावेजात प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण को ख0नं0 39, 38 व 25 मे से होकर जाने वाले रास्ते को खोले जाने का आदेश फरमाया जावे तथा रास्ते के एवज मे प्रार्थीगण न्यायालय द्वारा निर्धारित की जाने वाली राशि अदा करने के लिये तैयार है प्रार्थीगण के पास अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होने से ख0 नं0 39, 38,

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:44:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

25 मे से रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी होने से प्रार्थीगण के पक्ष मे आदेश फरमाया जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 8 से 16 को बार-बार आवाजे दिलाई गई बावजूद सम्मन सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। अप्रार्थी संख्या एक से पाँच व सात की ओर से वकालतनामा पेश हुआ। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जबाब अप्रार्थी संख्या एक से चार की ओर से निम्नानुसार है कि प्रार्थना - पत्र के पदसंख्या एक में वर्णित भूमि के खसरा नम्बर व रकबा बाबत एवं मौका स्थित बाबत जबाब देहन्दागण को कोई जानकारी नहीं है इस पद में वर्णित तमाम तथ्यों को प्रार्थीगण स्वयं साबित करें। प्रार्थना- पत्र के पद संख्या दो में वर्णित कथन पूर्णतया झूठे असत्य व बेबुनियाद है जबाब देहान्दा की कृषि भूमि ख0नं0 38, 39 से होकर प्रार्थीगण की भूमि मे आवागमन कोई रास्ता नही निकलता है तथा न ही प्रार्थीगण जबाब देहन्दागण खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि ख0नं0 38 व 39 से होकर अपनी भूमि मे कभी गये है। मौक पर भी कभी कोई रास्ता नहीं रहा है, न ही रास्ते के कोई आलामात है । बल्कि वास्तविकता मे जबाब देहन्दागणा की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि ख0नं0 38 व 39 को मिलाते हुए जबाब देहन्दागण व उनके सह हिस्सेदारो ने आपसी सहमति से मौके पर बंटवाडा किया हुआ है जिसके माफिक जबाब देहन्दागण के हक हिस्से मे ख0नं0 38 व 39 की जो जमीन आई उसके चारो तरफ को पूर्व से जोधपुर की पट्टिया खाडी कर तारबन्दी की हुई है व उससे पहले कांटो की बाड़ थी इस प्रकार से ख0नं0 38 व 39 की भूमि से हो कर प्रार्थीगण का कभी कोई रास्ता नहीं रहा है तथा ख0नं0 25 से होते हुए निकलने के कथन असत्य व झूठे है बल्कि प्रार्थीगण का रास्ता ख0नं0 39 के पूर्वी तरफ स्थित ख0नं0 45 व ख0नं0 39 की मांठ पर से यदि प्रार्थीगण रास्ता लेना चाहे तो इसमे जबाब देहन्दागण को कोई आपत्ति नही है कारण कि ख0नं0 39 व ख0नं0 45 से होकर जाने वाला रास्ता आगे ख0नं0 40 ख0नं0 . 42 ख0नं0 43 व 44 व प्रार्थीगण सभी के लिये उपयोगी होगा तथा ज्यादा जमीन का भी दुरूपयोग नही होगा। यद्यपि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी जमीन से इस स्थल से होकर भी कभी नहीं निकले थी बल्कि प्रार्थीगण के खेतों मे आवागमन का रास्ता जैतारण गरनिया डामर सड़क से होते हुए मौजा रतनपुरा की सरहद मे होकर अपने खेतों में आवागमन का रहा है। प्रार्थीगण ने जबाब देहन्दागण को तंग व परेशान करने की नियत से झूठे तथ्यो का समावेश करते हुए निराधार रूप से यह कार्यवाही की जो कतई गलत है। जबाब देहन्दागण उनके सहहिस्सेदारी के बीच भूमि को पूर्व से बंटी हुई है इसलिए केवल लिखमा राम पर झूठा [illegible] लगाया गया। उपरोक्त तथ्यों के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार [illegible] के पद संख्या तीन में वर्णित कटान पूर्णतया असत्य झूठे व बेबुनियाद होने से अस्वीकार है। जब जवाब देहन्दा के हक हिस्से के ख0नं0 38 व 39 से होकर प्रार्थीगण को बताये अनुसार मौके पर कभी कोई रास्ता रहा ही नहीं तो जवाब देहन्दागण पर रास्ते

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:44:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

रोक देने का झुठा आरोप लगाया गया है वास्तविकता में प्रार्थीगण का रास्ता अलग से मौके पर सरहद रतनपुरा से होते हुए स्थित है तथा वहीं से प्रार्थीगण हमेशा होगा अवागमन करते रहे है। लेकिन अब बदनियति या जवाब देहन्दा के विरुद्ध यह झुठी कार्यवाही की है। इस पद में वर्णित अनुसार ग्राम पंचायत गरनिया ने भी न तो कभी कोई कार्यवाही की न ही जबाब देहन्दागण को इस बाबत् सूचित किया। प्रार्थीगण ने झुठे तथ्यों के आधार पर यह कार्यवाही की है जो खारिज होने योग्य होने से खारिज फरमावें। प्रार्थना- पत्र पद संख्या चार में वर्णित कथन व लगाये आरोप कतई झूठें व बेबुनियाद होने से अस्वीकार है। जवाब देहन्दागण की कृषि भूमि ख0नं0 38, 39 व अन्य ख0नं0 25 से होकर कभी भी कोई रास्ता नही रहा है प्रार्थीगण ने यह निराधार कार्यवाही की है जिसके जरिये नये सिरे से रास्ता दिलाये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। साथ ही प्रार्थीगण का रास्ता भी मौके पर पृथक से स्थित है। इसलिए भी प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र खारिज योग्य होने से खारिज फरमावें।

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जबाब अप्रार्थी संख्या सात मोहनलाल पुत्र मलाराम जाति सीरवी निवासी हुनावास कलां तहसील जैतारण जिला पाली के ओर से निम्नलिखित है कि- प्रार्थनापत्र के पद संख्या 01 का जवाब है कि- इसमें वर्णित तथ्य सही होने से स्वीकार है। प्रार्थनापत्र के पद संख्या 02 का जवाब है कि इसमें वर्णित तथ्य " प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की कृषि भूमि में जाने हेतू पीढ़ीयों से खसरा नम्बर 38,39,25 में से होकर रास्ते का उपयोग उपभोग करते रहे है, सही होने से स्वीकार है। एवं इसी रास्ते से प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1/86 रकबा 6 बीघा 19 बिस्वा, ख0न0 6/91 रकबा 7 बीघा 17 बिस्वा, ख0न0 7/92 रकबा 8 बीघा 17 बिस्वा, ख0न0 4/89 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, ख0न0 8/93 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा, ख0न0 03/88 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा, ख0न0 5/90 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा, ख0न0 02/87 रकबा 10 बीघा 11 बिस्वा की कृषि भूमि में अपने पिता व प्रपिता के साथ में आने जाने में उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं। शेष तथ्य सही होने से स्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 03 व पद संख्या 04 का जवाब है कि- इसमें वर्णित तथ्य के बारे में अप्रार्थी को कोई जानकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 05 का जवाब है कि- पद कानूनी है जो न्यायालय द्वारा विचारणीय है।

प्रकरण में तहसीलदार जैतारण से वस्तुस्थिति की रिपोर्ट ली गई। जिस पर उभयपक्ष वकुलाय को सुना गया। वकील अप्रार्थी द्वारा मौका स्थिति की सही तथ्यात्माक रिपोर्ट मंगवाने बाबत् प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी का पेश किया। इस पर भू अभि. निरीक्षक से विधिक प्रावधानों की पूर्णता पालना करते हुए नये सिरे से चाहे गए नवीन रास्ते के [illegible] उपलब्ध विकल्पों सहित रिपोर्ट मंगवाना उचित समझते हुए [illegible] निरीक्षक बेड़कला मय पटवारी हल्का गरनिया द्वारा वस्तुस्थिति रिपोर्ट पेश कि की आपके प्रासंगिक आदेश की पालना में राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 1855/2017 अनवान भूण्डाराम वगैरा बनाम लिकमाराम वगैरा में सार्वजनिक रास्ता अन्तर्गत धारा 251(क) दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:44:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

करने बाबत् तथ्यात्मक रिपोर्ट इस प्रकार हैः- वादीगण भूण्डाराम वगैरा की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम हुनावास खुर्द के खसरा नम्बर 1/86, 02/87, 3/85, 4/89, 7/92, 8/93 में दर्ज रेकॉर्ड है। वादीगण को अपनी खातेदारी कृषि भूमि में आने जाने के लिए रेकॉर्डड रास्ता (कटाणी रास्ता) नहीं होने से राजस्थान काश्तकारी कानून की धारा 251(क) में रास्ता दर्ज करवाने के लिए राजस्व प्रार्थना पत्र पेश किया है। श्रीमान के आदेश की पालना में दिनांक 10.04.2018 को भू. अभि. निरीक्षक बेड़कलां व पटवारी हल्का गरनिया द्वारा मौका जाँच कर ग्राम हुनावास कलां के खसरा नम्बर 39, 38, 25 में से हो कर वादीगण की कृषि भूमि तक आने-जाने के लिए रास्ता प्रस्तावित कर फर्द मौका रिपोर्ट श्रीमान् के कोर्ट में पेश की गई थी। उक्त प्रस्तावित रास्ते के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण लिकमाराम वगैरा को आपत्ति है कि ग्राम हुनावास कलां के खसरा नम्बर 38 व 39 की बीच माठ पर रास्ता दिये जाने से उनकी कृषि भूमि दो हिस्सों में विभाजित हो जायेगी। इसलिए रास्ता खसरा नम्बर 39 की पूर्वी माठ(मेढ़) पर दे दिया जावें। ग्राम हुनावास कलां की जमाबन्दी सम्वत् 2003, 2076 के अनुसार खसरा नम्बर 38 व 39 प्रतिवादीगण लिकमाराम की शामलाती खातेदारी भूमि है। इस लिहाज से विकल्प के रूप में खसरा नम्बर 39, 40/1, 42, 43 में से हो कर वैकल्पिक रास्ता दिया जा सकता है, जिसका नजरी नक्शा रिपोर्ट के साथ संलग्न है। पूर्व में प्रस्तावित रास्ते की दूरी का माप व वर्तमान में प्रस्तावित रास्ते की दूरी का नाप अलग-अलग रंगो से दर्शाकर नजरी नक्शा सुलभ सन्दर्भ हेतू रिपोर्ट के साथ संलग्न है। प्रस्तावित रास्ते की भूमि की वर्तमान डी०एल०सी० रेट व T.RA. की गणना रिपोर्ट संलग्न है।

हमनें प्रकरण में उभयपक्षकारान् के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनते हुये उस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध दस्तावेजात् तथा संगत विधिक प्रावधानों का भली भांति अध्ययन व अवलोकन किया। प्रकरण का बिन्दूवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार हैः-

1. प्रार्थीगण द्वारा धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का हस्तगत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उनकी खातेदारी कब्जा काश्त आराजी ग्राम हुनावास कलां व रतनपुरा सरहद के बीच में कंटाला चक के नाम से खसरा नम्बर 1/86 रकबा 6 बीघा 19 बिस्वा, ख०न० 6/91 रकबा 7 बीघा 17 बिस्वा, ख०न० 7/92 रकबा 8 बीघा 17 बिस्वा, ख०न० 4/89 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा, ख०न० 8/93 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा, ख०न० 03/88 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा, ख०न० 5/90 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा, ख०न० 02/87 रकबा 10 बीघा 11 बिस्वा की कृषि भूमि स्थित है। जिस पर पहुंच के लिये अभिलिखित रास्ता उपलब्ध नहीं है, परन्तु पीढ़ीयों से जैतारण से हुनावास कलां जानें वाली मुख्य सड़क से होकर [illegible] के खेत खसरा संख्या 39, 38, 25 से आते जाते रहे है लेकिन [illegible] खसरा संख्या 39, 38 व 25 में उक्त रास्ता बन्द कर दिया है। अतः प्रार्थीगण को नियमानुसार रास्ता उपलब्ध करवावें।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:44:16 IST
Reason: SelfAttested

2. अप्रार्थीगण संख्या 1 से 4 ने जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर प्रार्थनापत्र में अंकित कथनों का खण्डन करते हुये निवेदन किया है कि प्रार्थीगण के कथन पूर्णतया झूठे है तथा खसरा संख्या 39 व 38 से कभी कोई रास्ता नहीं रहा है। यदि जवाब देहन्दागण की कृषि भूमि खसरा संख्या 39 के पूर्वी तरफ होते हुये यानि खसरा संख्या 39 व 45 के माठ पर से होते हुये मौके पर रास्ता दिया जाता है तो अप्रार्थीगण को कोई आपत्ति नहीं होगी। प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र खारिज किया जावें। अप्रार्थीगण संख्या 7 मोहनलाल पुत्र मल्लाराम ने जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण के प्रार्थनापत्र में अंकित कथनों का समर्थन करते हुये निवेदन किया है कि यह सही है कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी कृषि भूमि में आने जाने हेतु पीढ़ियों से खसरा संख्या 38, 39 व 25 में से होकर रास्ते का उपभोग एवं उपयोग करते रहें है। जिसे वर्तमान में तारबन्दी करके बन्द किया गया है। हुनावास कलां से जैतारण आने वाली मुख्य सड़क खसरा नम्बर खसरा संख्या 38, 39 व 25 में से होकर प्रार्थीगण के खेत में आने जाने का सबसे नजदीक रास्ता यही है। रास्ता बाबत् मौका रिपोर्ट खातेदारों की उपस्थिति में तैयार की गई जिसे किसी भी खातेदार द्वारा कोई उजर एतराज नहीं किया।

रास्ते के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 251 (क) में कानूनी प्रावधान निम्नानुसार हैः-

251- क ''अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना सा विद्यमान मार्ग का विस्तार करना-(1) जहां

(क)- कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना चाहता है, या

(ख)- कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है- और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात् उसका समाधान हो जाता है कि-

(A)- यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है, और

(B)- अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है- तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ-साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने या ऐसे ट्रेक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जावे, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो ... फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी ... धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग ... या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जावे, ऐसे प्रतिक... के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:44:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

(2)- जहां-उपधारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के सम्बन्ध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में "रास्ता" के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(3)- वे व्यक्ति, जिनको उपधारा(1) में निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।

इस प्रकार स्पष्ट है कि रास्ते सम्बन्धी प्रकरणों में संक्षिप्त जांच उपरान्त निस्तारण अपेक्षित होता है।

3. प्रकरण मे भू अभिलेख निरीक्षक बैड़कलां द्वारा जांच कर रिपोर्ट तलब की गई। जिस पर भू अभिलेख निरीक्षक बैड़कलां द्वारा दिनांक 10.04.2018 को तैयार मौका फर्द रिपोर्ट मय नक्शा सहित प्रस्तुत किया, जिसमें प्रार्थीगण की आराजी में आने जाने के लिए ग्राम हुनावास कलां के खसरा संख्या 39, 38 व 25 की भूमि में से रास्ता चलायमान होना अंकित किया, तथा इन्हे खसरो में से रास्ता प्रस्तावित किया गया। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में दोबारा तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाने का निवेदन किए जाने पर भू अभिलेख निरीक्षक बैड़कलां द्वारा दिनांक 24.02.2020 एवं 05.10.2020 को नवीन तथ्यात्मक रिपोर्ट एवं नजरी नक्शा प्रस्तुत किया जिसके अनुसार प्रार्थीगण की आराजी तक पहुंचने के लिए दो विकल्प प्रस्तावित किए गए। 1. खसरा संख्या 39, 38 व 25 में से कुल 00-17 बीघा एवं 2. खसरा संख्या 39, 40/1, 42 एवं 43 में से कुल 00-16 बीघा रकबा का रास्ता प्रस्तावित किया गया। माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 12.11.2020 के अनुपालना में प्रकरण में उभयपक्ष की उपस्थिति में नियम 69 के अनुसरण में पुनः सक्षम अधिकारी से जांच प्रतिवेदन तलब किये जाने के निर्देश पर न्यायालय हाजा द्वारा उभयपक्षकारान् को दिनांक 24.12.2020 को मौके पर उपस्थित रहने बाबत् जरिए अधिवक्तागण पाबन्द किया गया तथा तहसीलदार जैतारण को मौके पर उपस्थित रहकर नवीनतम तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित करने बाबत् निर्देशित किया गया। तहसीलदार जैतारण , भू अभिलेख निरीक्षक बैड़कला, पटवारी गरनिया एवं मौके पर उपस्थित आये पक्षकारान् एवं मौतबिरान की उपस्थिति में दिनांक 12.02.2021 को प्रकरण में नवीनतम मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा तैयार कर न्यायालय हाजा प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार प्रकरण में दो विकल्प प्रस्तावित किए गए, विकल्प ए- खसरा संख्या 39, 38 व 25 में से क्रमशः 10×2, 40×2 व 34×2 गट्टा लम्बाई एवं चौड़ाई का हरे रंग से प्रस्तावित वैकल्पिक रास्ता जिसका कुल रकबा 00-17 बीघा है। विकल्प-बी खसरा संख्या 39, 40/1, 42 व 43 में से क्रमशः 84×2, 30×2, 30×2 व 20×2 गट्टा लम्बाई एवं चौड़ाई का नीले रंग से प्रस्तावित रास्ता जिसका कुल रकबा 00-16 बीघा है।

4. इस प्रकार दिनांक 12.02.2021 को मौके पर तैयार रिपोर्ट अनुसार विकल्प-बी द्वारा प्रस्तावित नीले रंग का रास्ता जिसका रकबा 16 बीस्वा बनता है। जो कि न्यूनतम एवं निकटतम वैकल्पिक रास्ता है। अतः नियमानुसार उक्त विकल्प को स्वीकार कर प्रार्थीगण की जोत तक पहुंच के लिए सार्वजनिक रास्ता घोषित किया जा सकता है। तथा इसके प्रतिफल स्वरुप तहसील राजस्व लेखाकार, तहसील कार्यालय जैतारण द्वारा प्रस्तुत प्रभावित आराजी की प्रचलित डीएलसी दर 540110 रूपये प्रति

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:44:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

हैक्टर अर्थात 54.01 रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से नियमानुसार प्रचलित डीएलसी दर का दुगुना अर्थात 108.02 रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से रास्ते के रूप में स्वीकृत प्रस्तावित कुल रकबा 16 बीस्वा अर्थात 1295 वर्गमीटर के लिए 1,39,900/- रूपये जो कि प्रभावित खसरा संख्या क्रमशः 39, 40/1, 42 व 43 की भूमि एवं खातेदारान् के लिए रकबा एवं हिस्सा अनुसार आनूपातिक रूप से विभाजित करके प्रार्थीगण से वसूल किया जाकर अप्रार्थीगण प्रभावित खातेदारान् को भुगतान किया जाना उचित एवं विधिसंगत होगा।

## -:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 251क, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बखूबी साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार जैतारण द्वारा दिनांक 12.02.2021 को तैयार मौका रिपोर्ट एवं नजरी नक्शा अनुसार विकल्प-बी द्वारा नीले रंग से प्रस्तावित रास्ता जो कि खसरा संख्या 39 में से 84 गट्टा लम्बा 2 गट्टा चौड़ा कुल क्षैत्रफल 168 वर्ग गट्टा अर्थात 8 बीस्वा, खसरा संख्या 40/1 में से 30 गट्टा लम्बा व 2 गट्टा चौड़ा कुल क्षैत्रफल 60 वर्ग गट्टा अर्थात 3 बीस्वा, खसरा संख्या 42 में से 30 गट्टा लम्बा व 2 गट्टा चौड़ा कुल क्षैत्रफल 60 वर्ग गट्टा अर्थात 3 बीस्वा, खसरा संख्या 43 में से 20 गट्टा लम्बा व 2 गट्टा चौड़ा कुल क्षैत्रफल 40 वर्ग गट्टा अर्थात 2 बीस्वा इस प्रकार कुल रकबा 16 बीस्वा अर्थात 1295 वर्ग मीटर को खातेदारी में से कम किया जाकर सार्वजनिक रास्ता घोषित किया जाता है। प्रभावित आराजी की प्रचलित डीएलसी दर 540110 रूपये प्रति हैक्टर अर्थात 54.01 रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 70(1)(II)(क) के अनुसार प्रतिकर राशि प्रचलित वर्तमान डी0एल0सी0 दर की दुगुनी अर्थात 108.02 रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से रास्ते के रूप में स्वीकृत कुल रकबा 16 बीस्वा अर्थात 1295 वर्गमीटर के लिए अर्थात् 1,39,900/- रूपये (अक्षरे एक लाख उनचालीस हजार नौ सो रूपये मात्र) निर्धारित करते हुए तहसीलदार जैतारण को निर्देशित किया जाता है कि वह निर्धारित प्रतिकर राशि प्रार्थीगण से प्राप्त कर खसरा संख्या 39, 40/1, 42 व 43 के खातेदारान् को रास्ता प्रयोजनार्थ खातेदारी से कम की गई भूमि के अनुपात में भुगतान करनें का निर्देश दिया जाता है। खातेदार द्वारा राशि प्राप्त नहीं करनें पर उसे तब तक जमा रखें जब तक ऐसे खातेदार/वारिसान ऐसी राशि प्राप्त नहीं कर लें। ऐसी राशि पर कोई ब्याज या अन्य भुगतान देय नहीं होगा। तहसीलदार, जैतारण भू-अभिलेख में अमल-दरामद कर मौके पर सीमाँकन कर स्वीकृत रास्ता चालू करावें। तहसीलदार जैतारण को तहरीर जारी हों। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफ़्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण, (जिला-पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:44:15 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनॉक 21/03/2022 को खुले में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण, (जिला-पाली)